To Prohibit the Intoxication

***1070** **SHRI AFTAB AHMED, M.L.A.** : Will the Home Minister be pleased to State:

a) The details of the steps taken by the Government to prohibit the intoxication in State;

b) The number of cases registered against the drug addicts in State in the last 5 years;

c) The number of cases registered under NDPS Act in State in the last 5 years;

d) Number of cases registered under Drug and Cosmetic Act in State in the last 5 years;

e) The number of cases registered against the youths of age 25 years under the above said Acts in State in the last 5 years together with the steps likely to be taken by the Government to control the use of some medicines which are not prohibited but used as drug for intoxication?

Home Minister, Haryana

Sir, a statement is laid on the Table of the House.

Statement in respect of Starred Question No. *1070 of Shri. Aftab Ahmed, MLA.

Sir:

a) A large number of steps have been taken by the State Government to prohibit the intoxication in Haryana State. Some of such steps are as under :

i) A dedicated organization, namely, Haryana State Narcotics Control Bureau has been created on 25.08.2020, which is headed by an Additional Director General of Police rank Officer with Headquarters in Madhuban, Karnal. The Bureau has been made responsible for prevention and control of drug trafficking in Haryana as well as criminal prosecution of all those indulging in drug peddling, supplying, manufacturing, transportation, distribution and storage of drugs and Narcotic substances in the State.

ii) District level Anti-Narcotics cells have been created in every district of the State with a view to apprehend drug peddlers who are active in drug trafficking. These cells have further been made responsible for taking action against the abettors and conspirators, aiding the sale of drugs as per Section 29 of NDPS Act.

iii) The Anti-Narcotics cells have been directed to take action against unscrupulous elements who are involved in sale of pharmaceutical products without prescription which can be used as narcotics substances.

iv) The Police Stations of the State have been made responsible to prepare data base/record of all individuals, who were previously involved in NDPS Act cases and to undertake requisite surveillance qua them with a view to take substantive as well as preventive action against them.

v) Local Police Stations have further been directed to take proactive action against the drug peddlers who are found to be involved in supplying drugs in schools in co-ordination with the Education Department.

vi) Range Level Anti Narcotics Cells have been created under the direct supervision of Range IGsP/ Police Commissioners to monitor the District Level Anti Narcotics Cells, sharing of information within the Range and spearheading the community outreach programmes for creating awareness amongst the general public.

vii) A State Level Anti-Narcotics Cell has been created headed by Inspector General of Police, State Task Force to conduct State level Anti Drug operations.

viii) An Inter-State drug Secretariat has been created in the State Crime Branch, Hqrs., Panchkula for coordination with the neighbouring states of North Zone i.e. Punjab, Himachal Pradesh, Rajasthan, Delhi, Chandigarh, and Uttrakhand.

ix) National level Co-ordination is being done through NCORD meetings.

x) Regular training/courses have been organized for capacity buildings and for improving the investigation skills as well as the intelligence collection skills of the Police department with regard to detection and investigation of NDPS related cases.

xi) All the field Police Officers have been sensitized to focus on good quality investigation with a view to ensure conviction in these cases.

xii) A coordinated approach is being undertaken with a view to achieve supply reduction, demand reduction and harm reduction. Police, Health & Family Welfare, Excise & Taxation, Education & Research, School Education, Social Justice & Empowerment, Higher Education, Prisons, Food & Drug Administration Departments are part of the coordinated approach.

b) 62 cases have been registered against the drug addicts in the State in the last 5 years.

c) 15821 cases have been registered under NDPS Act in the State in the last 5 years.

d) 124 cases have been registered under Drugs and Cosmetics Act in the State in the last 5 years.

e) 3049 cases have been registered against the youths of age upto 25 years under the above said Acts (NDPS Act and Drugs & Cosmetics Act) in the State in the last 5 years.

The State Government is seized of the matter pertaining to the medicines which are not prohibited but can be used as drugs for intoxication. The issue has been discussed in 1st State level NCORD meeting held on 04.02.2021 in Chandigarh. The Department of Food & Drug Administration, Haryana discussed the need to issue directions to drug manufacturers and the wholesellers to submit record of medicines having potential to be used as intoxicants to Senior Drug Control Officers every month who then submit monthly return to Food & Drugs Administration, Haryana. Further action is to be taken by Food & Drug Administration after examining the pattern of the use. If necessary, the State Government shall approach concerned authorities to ban the drugs or to take any other appropriate action.

****

नशे की रोकथाम करना

*** 1070 श्री आफताब अहमद, विधायकः** क्या माननीय गृहमन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि :–

(क) नशे पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का विवरण ;

(ख) राज्य में पिछले 5 वर्षों में नशे के आदतन व्यक्तियों के विरूद्व अंकित किये गए अभियोगों की संख्या;

(ग) पिछले 5 वर्षों में मादक द्रव्य तथा पदार्थ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों की संख्या ;

(घ) पिछले 5 वर्षों में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों की संख्या ;

(ड.) राज्य में पिछले 5 वर्षों में उपरोक्त अधिनियमों के अन्तर्गत 25 वर्ष तक के युवाओं के विरूद्व अंकित अभियोगों की संख्या व इसके साथ ही सरकार द्वारा ऐसी दवाईयां, जो प्रतिबन्धित नहीं हैं, लेकिन नशे के तौर पर प्रयोग की जा सकती हैं, को रोकने हेतु उठाये गये कदम ?

गृहमन्त्री हरियाणा

महोदय, वक्तव्य सदन के पटल पर रखा जाता है।

श्री आफताब अहमद, विधायक के तारांकित प्रश्न संख्या 1070* के सम्बन्ध में वक्तव्यः–

महोदय,

(क) हरियाणा राज्य में नशे पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा बड़ी संख्या में कदम उठाये गये हैं। जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं :–

(i) राज्य में दिनांक 25.08.2020 को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो नामक संगठन को स्थापित किया गया है। इसका मुख्यालय मधुबन, करनाल में है। ब्यूरो को हरियाणा में नशा तस्करी की रोकथाम और नियन्त्रण के साथ साथ नशे के व्यापार, आपूर्ति, उत्पादन, परिवहन, दवाओं के वितरण तथा नशीलें पदार्थों के भण्डारण की रोकथाम, नियंत्रण तथा आपराधिक अभियोग चलाने की जिम्मेदारी दी गई है।

(ii) मादक पदार्थों की तस्करी में सक्रिय रहने वाले नशा तस्करों को पकड़ने के लिए राज्य के हर ज़िले में ज़िला स्तर पर नशा–निरोधक शाखा (एन्टी नारकोटिक सैल) बनाये गये हैं। इनकी मादक द्रव्य और पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 29 के अनुसार दवाओं की बिक्री में सहायता करने व बढावा देने वाले षडयन्त्रकारियों के विरूद्व कार्रवाई करने की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है।

(iii) एन्टी नारकोटिक सैल को उन असमाजिक तत्वों के विरूद्व कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है, जो बिना पर्ची के दवाओं की बिक्री में शामिल हैं, जिन्हें नशीले पदार्थों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

(iv) राज्य के पुलिस थानों को मादक द्रव्य और पदार्थ अधिनियम, 1985 के अभियोगों में संलिप्त सभी व्यक्तियों का रिकार्ड रखने व उनके विरूद्व निवारक कार्यवाही करने की दृष्टि से आवश्यक निगरानी रखने की ज़िम्मेदारी दी गई है।

(v) स्थानीय पुलिस थानों को शिक्षा विभाग के समन्वय से स्कूलों में नशीली दवाओं की आपूर्ति में शामिल पाए जाने वाले नशा तस्करों के विरूद्व सख्त कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया है।

(vi) जिला एन्टी नारकोटिक सैलों की निगरानी के लिए मण्डल पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस आयुक्त की देखरेख में मण्डल स्तर पर एन्टी नारकोटिक सैल बनाये गये हैं, जिनका कार्य मण्डल में जिला स्तर पर जानकारी साझा करना और आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए सामुदायिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना है।

(vii) राज्य स्तर पर नशा–विरोधी अभियान चलाने के लिए पुलिस महानिरीक्षक, स्पैशल टास्क फोर्स (एस0टीएफ0) के नेतृत्व में राज्य स्तरीय एन्टी नारकोटिक सैल गठित किया गया है।

(viii) उतरी क्षेत्र के पड़ोसी राज्यों पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, चण्डीगढ़ व उतराखण्ड के साथ समन्वय के लिए अन्तर्राज्यीय ड्रग सचिवालय का गठन किया गया है, जिसका मुख्यालय राज्य अपराध शाखा, पंचकूला में स्थित है।

(ix) N-CORD समन्वय बैठक के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय स्थापित किया जा रहा है।

(x) क्षमता–निर्माण और जांच–कौशल में सुधार के साथ साथ पुलिस विभाग के खुफिया संग्रह कौशल में सुधार के लिए मादक द्रव्य और पदार्थ अधिनियम, 1985 से सम्बन्धित मामलों का पता लगाने और जांच के लिए नियमित प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम आयोजित किये गये हैं।

(xi) क्षेत्र के सभी पुलिस अधिकारियों को इन अभियोगों में सजा सुनिश्चित करने के लिए अच्छी गुणवत्ता के अनुसन्धान पर ध्यान केन्द्रित करने हेतु सचेत किया जाता है।

(xii) आपूर्ति में कमी, मांग में कमी ओर नुकसान को कम करने की दृष्टि से एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। पुलिस, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, उत्पाद, शुल्क और कराधान, खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग इस समन्वित दृष्टिकोण का हिस्सा हैं।

(ख) पिछले 5 सालों में राज्य में नशा के आदतन व्यक्तियों के विरूद्व 62 अभियोग अंकित किये गये।

(ग) पिछले 5 सालों में राज्य में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अन्तर्गत 15821 अभियोग अंकित किये गये।

(घ) राज्य में पिछले 5 साल में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत 124 अभियोग अंकित किये गये।

(ड.) राज्य में पिछले 5 सालों में 25 साल तक के युवाओं के विरूद्व मादक द्रव्य और पदार्थ अधिनियम व औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत 3049 अभियोग दर्ज किये गये।

जो दवायें प्रतिबन्धित नहीं है परन्तु नशे के लिए प्रयोग की जा सकती हैं भी सरकार के ध्यान में हैं। इस विषय पर चण्डीगढ़ में दिनांक 04.02.2021 को आयोजित प्रथम राज्य स्तरीय N-CORD समन्वय बैठक में चर्चा की गई है। खाद्य एवम औषधि प्रशासन विभाग, हरियाणा ने दवा निर्माताओं और होलसेलर्ज को निर्देश जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा की तथा सुझाव दिया कि वे हर माह वरिष्ठ ड्रग कन्ट्रोल अधिकारियों को नशीली दवाओं के रूप में इस्तेमाल होने वाली दवाओं का रिकार्ड पेश करें और फिर खाद्य और औषधि प्रशासन को मासिक रिटर्न प्रस्तुत करें। उपयोग के पैटर्न की जांच के बाद खाद्य और औषधि प्रशासन द्वारा आगे की कार्रवाई की जायेगी। आवश्यकतानुसार ऐसी दवाओं पर प्रतिबन्ध लगाने या अन्य उचित कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारियों से सम्पर्क करके पत्र व्यवहार करेगी।

****